Epistemology of Nyaya - Inference

अनुमान

By- Dr. Arun Kumar Sinha
Asso. Professor, Philosophy Department
Raja Singh College, Siwan
(For Part- 1 Hons./Subs. Students)

न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण - **अनुमान** है ।अनुमान दो शब्दों के संयोग से बने हुए हैं, 'अनु' तथा 'मान' ।अनु का अर्थ होता है 'पश्चात' तथा 'मान'का अर्थ होता है 'ज्ञान' ।इस तरह पश्चात ज्ञान को अनुमान कहा जाता है।वह ज्ञान जो एक के बादआये अनुमान कहलाता है, इसमें प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है।पहाड़ पर धुँए को देखकर आग के होने का ज्ञान अनुमान है।गौतम मुनि ने अनुमान को '**तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक**' कहा है अर्थात यह वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है।अनुमान का उदाहरण है : -

पहाड़ पर आग है
क्योंकि वहाँ धुआँ है
जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है

वात्स्यायन ने अनुमान को परिभाषित करते हुए कहा है, "**मित्तेन लिंगेन अर्थस्य अनु पंचानमानमनमानम**"।पर्वत अग्नियुक्त है और जो धूम युक्त होता है वह अग्नियुक्त होता है। पहले से हमें ज्ञान है कि धूम और अग्नि में व्याप्ति सम्बन्ध है, उसी के आधार पर पर्वत को हम धूमयुक्त देखते ही अनुमान लगा लेते हैं कि पर्वत अग्नियुक्त है।

अनुमान में कम से कम तीन वाक्य और तीन पद होते हैं।अनुमान में प्रयुक्त होने वाले वाक्यों को 'अवयव'कहते हैं।अवयव तीन हैं - पक्ष, साध्य और हेतु ।उपरोक्त उदाहरण में पहाड़ पक्ष है क्योंकि पहाड़ के सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है।पक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, यहाँ आग साध्य है क्योंकि पहाड़ पर आग का होना ही सिद्ध किया गया है।जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बताया जाता है वह हेतु कहलाता है।यहाँ धुवाँ हेतु है क्योंकि धुएँ को देखकर ही पहाड़ पर आग होने का अनुमान लगाया गया है।पश्चात्य तर्कशास्त्र के लघुपद, बृहत पद और मध्यवर्ती पदके अनुरूप ही पक्ष, साध्य और हेतु हैं।

न्याय दर्शन में, अनुमान के पाँच वाक्य होते हैं,जिन्हें पंचावयव कहा जाता है अर्थात इनके पाँच अवयव होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं : -

प्रतिज्ञा - पहाड़ पर आग है ।
हेतु - क्योंकि पहाड़ पर धुआँ है ।
दृष्टान्त तथा उदाहरण - जहाँ- जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होता है,
जैसे - पाकगाह ।
उपनय - उस पहाड़ पर धुआँ है(व्याप्ति)
निष्कर्ष - अतः पहाड़ पर आग है ।

<u>अनुमान के आधार</u> - अनुमान के दो आधार बताये गए हैं - व्याप्ति और पक्षधर्मिता ।

व्याप्ति - हेतु और साध्य के बीच के सम्बन्ध को व्याप्ति कहा जाता है।यह सम्बन्ध स्वभाविक और अविछेद होता है।अविछेद सम्बन्ध वह होता है जिसमें कोई शर्त न हो,इसलिए व्याप्ति को उपाधिशून्य सम्बन्ध भी कहा जाता है,जैसे- धुआँ और आग में उपाधिशून्य सम्बन्ध है। जहाँ धुआँ है वहाँ बिना शर्त के ही आग देखी जाती है।हेतु और साध्य के व्यापक सम्बन्ध को देखकर ही इसे व्याप्ति कहा जाता है।व्याप्ति में 'व्याप्य'और 'व्यापक' दोनों होते हैं,जिसका विस्तार कम होता है वह व्याप्य कहलाता है और जिसका विस्तार अधिक होता है उसे व्यापक समझा जाता है।व्याप्य का विस्तार व्यापक के विस्तार से कम या बराबर होता उसी तरह व्यापक का विस्तार व्याप्य से अधिक या बराबर होता है।धुआँ और आग में धुआँ व्याप्य है जबकि आग व्यापक क्योंकि धुआँ का विस्तार आग से कम है।जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है परन्तु जहाँ-जहाँ आग है वहाँ धुआँ नहीं है जैसे लोहे में आग होती है पर धुआँ नहीं होता है ।

व्याप्ति के प्रकार - व्याप्ति दो प्रकार की होती है - असमव्याप्ति और समव्याप्ति ।ये प्रकार विस्तार को लेकर है।

जब दो पदों में एक विस्तार कम होता है और दूसरे का अधिक तो ऐसे सम्बन्ध को असमव्याप्ति का सम्बन्ध कहा। जाता है ,जैसे धुँआ और आग के बीच का जो सम्बन्ध है वह असमव्याप्ति का सम्बन्ध क्योंकि यहाँ धुआँ का विस्तार अग्नि की अपेक्षा कम है।

जब दो पदों का विस्तार बराबर होता है तब ऐसे सम्बन्ध को समव्याप्ति का सम्बन्ध कहा जाता है।सम व्याप्ति में एक दूसरे के आधार पर अनुमान करना सम्भव होता है।

व्याप्ति की विधियाँ - व्याप्ति की स्थापना छः बिधियों द्वारा होती हैं ,जो निम्न प्रकार से है : - 1अन्वय 2व्यतिरेक 3व्यभिचाराग्रह 4 उपाधिनिरास 5 तर्क 6 सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ।

1अन्वय - एक के रहने पर दूसरे का आवश्यक रूप से रहना अन्वय कहा जाता है ,जैसे - जहाँ-जहाँ धुआँ है वहाँ-वहाँ आग है।

व्यतिरेक - एक के नहीं रहने पर दूसरे का नहीं रहना व्यतिरेक कहा जाता है ,जैसे - जहाँ-जहाँ आग नहीं है वहाँ-वहाँ धुआँ नहीं है।

व्यभिचाराग्रह - दोनों में व्यभिचार भी होना चाहिये।इसका अभाव व्यभिचाराग्रह कहलाता है। धुआँ के साथ हमेशा आग का अनुभव होता है।ऐसा कभी भी अनुभव नहीं हुआ है कि धुआँ है पर आग नहीं है।

उपाधिनिरास - दो पदों या घटनाओं के बीच के सम्बन्ध के लिए किसी शर्त या उपाधि नहीं होनी चाहिए।धुआँ तभी होता है जब जलावन में आद्रता होगी, यही कारण है कि धुआँ होने पर अग्नि होती है पर आग के होने पर धुआँ का होना निश्चित नहीं रहता।इस तरह व्याप्ति के लिए उपाधिनिरास होना आवश्यक है।

तर्क - जब संशय की स्थिति हो तब व्याप्ति दिखलाने के लिये तर्क का सहारा लिया जाता है जिससे कि किसी भी संशयवादी के मन में कोई संशय नहीं रह जाय।सभी धूमयुक्त स्थान अग्नियुक्त हैं - इसके लिए प्रमाण क्या हैं,इस पर संशय हो सकता है।इस सम्बन्ध नैयायिकों का कहना है कि 'सभी धूमयुक्त स्थान अग्नियुक्त हैं 'तभी गलत हो सकता है जब कुछ ऐसे भी धूमयुक्त स्थान देखे जा सके हों जो अग्नियुक्त नहीं हों, वर्ना धूम के साथ अग्नि का होना आवश्यक है।

सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष - यह अलौकिक प्रत्यक्ष का एक भेद है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है,जैसे - सभी मनुष्य मरणशील हैं ।यह व्याप्ति कुछ मनुस्यों को देखकर ही स्थापित हो जाती है क्योंकि मनुस्यों का सामान्य लक्षण सभी मनुस्यों में होता है।मृत्यु होना मनुष्य का लक्षण है, अतः यदि कोई मनुष्य है तो वह मरणशील होगा ।

पक्षधर्मिता

निश्चित व्याप्ति के साथ हेतु हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना ही पक्षधर्मिता है।इस ज्ञान को परामर्श कहते हैं जिसे अनुमान समझा जाता है।इसमें हेतु तीन बार दिखाई पड़ता है - पहली बार रसोईघर में, दूसरी बार पहाड़ पर और तीसरी बार अग्नि की व्याप्ति के साथ धुएँ के साथ। इसके बाद अनुमान सम्पन्न हो जाता है।

अनुमान के प्रकार

न्याय दर्शन में अनुमान के प्रकार को तीन दृष्टिकोण से बर्गीकृत किया गया है : -

1 प्रयोजन के अनुसार

2 प्राचीन न्याय या गौतम के अनुसार

3 नब्या न्याय के अनुसार

प्रयोजन के अनुसार - इस दृष्टि से अनुमान के दो भेद किये गए हैं - स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान ।

स्वार्थानुमान - इस अनुमान का प्रयोग मनुष्य अपने निजी ज्ञान के प्राप्ति के लिए करता है, जैसे - कोई व्यक्ति किसी पहाड़ पर धुआँ देखता है , धुआँ और आग के व्यापकता को ध्यान में लाता है कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है।वह इसके आधार पर अनुमान कर लेता है कि पहाड़ पर आग है।

प्रार्थानुमान - दूसरों की आशंका को दूर करने के लिए जब अनुमान का सहारा लिया जाता है तब उस अनुमान को प्रार्थानुमान कहा जाता है।इस अनुमान को पंचावयव अनुमान कहा जाता है।इसके पाँच अंग होते हैं - प्रतिज्ञा, हेतु ,दृष्टान्त, उपनय और निगमन।

प्राचीन न्याय के अनुसार

गौतम ने अनुमान के तीन प्रकार बताये हैं - पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और समान्यतोदृष्ट ।

पूर्ववत अनुमान- यह अनुमान का वह प्रकार है जहाँ ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कार्य का अनुमान होता है ,जैसे आकाश में बादल को देखकर वर्षा के होने का अनुमान करना।

शेषवत अनुमान - कार्य को देखकर कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान कहलाता है ,जैसे - सुबह में धरती को गीली देखकर रात में वर्षा के हो चुकने का अनुमान करना शेषवत अनुमान है, उसी तरह किसी विद्यार्थी के प्रथम श्रेणी उतीर्ण हो जाने पर यह अनुमान करना कि वह अवश्य ही मेहनती होगा शेषवत अनुमान है।

सामान्यतोदृष्ट - यह अनुमान अन्य दो अनुमान से भिन्न है।जब किन्हीं दो वस्तुओं को साथ-साथ रहते हुए देखने के पश्चात एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना सामान्यतोदृष्ट अनुमान है ,जैसे - किसी पशु के सींग को देखकर उसके पूंछ का अनुमान करना ,राम और मोहन जो हमेशा साथ रहते हैं तो राम को देखकर मोहन के बारे में अनुमान सामान्यतोदृष्ट है।

नब्य न्याय के अनुसार

नब्य नैयायिकों ने अनुमान के तीन प्रकार बताये हैं - केवलानवयी,केवल-व्यतिरेकी, अन्वय-व्यतिरेकी ।

केवलानवयी - जो अनुमान केवल अन्वय के आधार पर होता है उसे केवलानवयी कहा जाता है।इसमें व्यतिरेक का पूर्णतः अभाव रहता है।

केवलव्यतिरेकी - जिस अनुमान में मात्र व्यतिरेक ही आधार रहता है उसे केवल व्यतिरेकी कहते हैं।इसमें थोड़ा भी अन्वय नहीं होता।

अन्वय-व्यतिरेकी - जो अनुमान अन्वय एवम व्यतिरेक दोनों ही प्रकार की ब्याप्तियों से सम्भव है उसे अन्वय-व्यतिरेकी कहा जाता है।